न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 242/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/236**
दायर दिनांक :– 02.09.2022 **निर्णय दिनांक :– 09.10.2024**

1. जोगाराम पुत्र मोतीराम जाति सुनार निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. समू पत्नी जोगाराम जाति सुनार निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. महीपाल नैण पुत्र बाबूराम नैण जाति विश्नोई नि. केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. हुकमाराम पुत्र हजारीराम नैण जाति विश्नोई नि. केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. समदा पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. जेठीदेवी पत्नी चूनीलाल जाति सुथार निवासी सुथारनाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. संगीता पत्नी पप्पूराम जाति विश्नोई निवासी सुथारनाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. सायर पत्नी अचलाराम जाति सुथार निवासी सुथारनाडा तह. घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91,88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। सरहद ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर नवसृजित तहसील घंटियाली में प्रार्थीगण के कदीमी पैतृक अधिकारों व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के कयसुदा खातेदारी अधिकारों की संयुक्त कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 368 रकबा 84.04 बीघा यानि 13.6298 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2075–2078 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। ग्राम केलनसर स्थित कदीमी पैतृक खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 84.04 बीघा भूमि सम्वत 2055 की अखातीत को अपासी सहमति का बहामी बंटवाड़ा तत्कालीन खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को विक्रय करने वाले विक्रेतागण के मध्य कर लिया गया था, लेकिन वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा व वर्तमान भू–नक्शा में शामलाती ही दर्ज रही है। प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में आवासीय मकान, पानी के टांके, पशुओं व घास के बाड़े इत्यादि बनाकर बारहमासी स्थाई निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि मे खाद डालकर उर्वरा बनाया है तथा अपने हिस्से की भूमि से प्राकृतिक व काश्त कर प्राप्त की गई पैदावार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:33 IST
Reason: SelfAttested

09.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की घोषित करवाने के अधिकारी है। अभी बरसात व मानसून से पूर्व प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में सार सम्भाल कर सूड कर रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 वादीगण के हिस्से की भूमि पर आये और कहा कि यह भूमि हमने जरिये विक्रय पत्र पड़ोस अंकित करवाकर कर क्रय कर ली है। अब इस भूमि में हम कातश करेगे और धमकी दी कि तुम इस भूमि को छोड़ दो वरना जबरन बेदखल कर देगे। प्रार्थीगण को भय है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की खातेदारी अधिकारों की भूमि से जबरन बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये कानून रोका जाना आवश्यक है, प्रार्थीगण दावेदार है जिसे लिए यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की भूमि में कोई दखलअंदाजी न ही स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण ग्राम केलनसर के खसरा नम्बर 368 रकबा 84.04 [illegible] खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 91,88,53 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वर्तमान जमांबदी में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी [illegible] दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार एवं वाद्रगस्त भूमि संयुक्त [illegible] खातेदार का इंच इंच पर हक होता है जिसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:33 IST
Reason: SelfAttested

09-10-24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी नहीं जाती है तो प्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग हक व हिस्से आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 91,88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप के खसरा नंबर 368 रकबा 84.04 बीघा में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 प्रार्थीगण के हक व हिस्सा में दखलअंदाजी न करे व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:16:33 IST
Reason: SelfAttested

०९.१०.२४

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)